

एनके शिन्दर सिंह बनाम भारतीय संघ एवं अन्य

नंबर 3380027के

**उमा नाथ सिंह और राजन गुप्ता, न्यायमूर्ति**

**नंबर 3380027के**

एनके शिन्दर सिंह-याचिकाकर्ता

बनाम

भारतीय संघ एवं अन्य-प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. 2000 का क्रमांक 1491

21 जुलाई 2008

*भारत का संविधान, 1950-अधिनियम—226-सेना अधिनियम, 1954-  
एस.112-सेना नियम, 1955-आर एक .22-सारांश सामान्य न्यायालय कोर्ट  
मार्शल कार्यवाही-पांच सैन्यकर्मी एक सेना तंबू में रह रहे थे-----शराब  
पीने के बाद झगड़ा-याचिकाकर्ता के खिलाफ दो साथी सैन्यकर्मियों की हत्या  
करने का आरोप-याचिकाकर्ता द्वारा इकबालिया बयान -याचिकाकर्ता के  
खिलाफ दो गवाहों ने भी गवाही दी -----याचिकाकर्ता उसे झूठा फंसाने के  
लिए गवाहों के साथ कोई दुश्मनी स्थापित करने में विफल रहा -----  
याचिकाकर्ता जांच और सारांश सामान्य न्यायालय मार्शल से पहले पर्याप्त  
कार्यवाही के दौरान किसी भी स्तर पर कोई आपत्ति उठाने में विफल रहा --  
---- प्रावधानों के तहत स्थापित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण का संचालन  
कानून के ----- समरी जनरल कोर्ट मार्शल के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य -----  
--- दोषसिद्धि और सजा की वैधता को चुनौती देने के लिए रिट क्षेत्राधिकार  
के प्रयोग में कोई हस्तक्षेप नहीं, याचिका खारिज की जा सकती है।*

निर्धारित किया गया कि विवादित मुकदमा सेना अधिनियम और सेना नियमों के प्रावधानों के तहत स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से आयोजित किया गया है। याचिकाकर्ता के मूल संगठन, आईओ सिख रेजिमेंट के कमान अफसरके रूप में, अभी भी आरोपी के कमान अफसरथे, आरोपों की सुनवाई की कार्यवाही केवल उनकी उपस्थिति में ही की गई थी। इस प्रकार, सेना नियमों के नियम 22 का विधिवत अनुपालन किया गया। जहां तक याचिकाकर्ता की सैन्य प्रतिष्ठा का संबंध है, उसने कभी भी समरी जनरल कोर्ट मार्शल के समक्ष यह मुद्दा नहीं उठाया, और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति को देखते हुए, उसका चरित्र और सैन्य प्रतिष्ठा दांव पर नहीं थी, न ही किसी भी तरह से शामिल थी। दूसरी ओर आरोपी-याचिकाकर्ता पर दो साथी सैन्य कर्मियों की हत्या का अपराध करने का आरोप लगाया गया था।

(पैरा 10)

इसके अलावा, यह माना जाता है कि हमें रक्षा मंत्रालय की 5 सितंबर, 1977 की अधिसूचना में किसी भी तरह की कोई कमी नज़र नहीं आती है, जिसमें कहा गया है कि समरी जनरल कोर्ट मार्शल की कार्यवाही धारा 9 और धारा 3 (i) सेना अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में आयोजित की गई थी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता की इस दलील को भी खारिज कर दिया गया है।

(पैरा 11)

आगे कहा गया कि समरी जनरल कोर्ट मार्शल के समक्ष पर्याप्त सबूत थे और ऐसा कोई आरोप नहीं है कि कानून के किसी प्रावधान की अनदेखी की गई या निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया। इस प्रकार, तत्काल मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हमारे हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देती हैं।

एनके शिन्दर सिंह बनाम भारतीय संघ एवं अन्य

नंबर 3380027के

(पैरा 13)

टी. एस. संघा, वरिष्ठ अधिवक्ता, संदीप बंसल, अधिवक्ता,.....याचिकाकर्ता के लिए,  
कमल सहगल, अधिवक्ता, .....भारत संघ के लिए।

**उमा नाथ सिंह, न्यायमूर्ति.**

(1) यह रिट याचिका निम्नलिखित मांग के लिए दायर की गई है:

(i) समरी जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा आक्षेपित मुकदमे की कार्यवाही को रद्द करने वाली उत्प्रेषण की एक रिट, आक्षेपित निष्कर्ष और सजा, दिनांक 10 जून, 1998, समरी जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा पारित और आक्षेपित आदेश, दिनांक 10 अगस्त, 2000 (अनुलग्नक पी-) 4);

(ii) उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों और राहतों के साथ याचिकाकर्ता को बहाल करने का निर्देश देने वाला एक परमादेश पत्र;

(iii) विकल्प में एक परमादेश रिट जिसमें उत्तरदाताओं को वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया हो;

एनके शिन्दर सिंह बनाम भारतीय संघ एवं अन्य

नंबर 3380027के

(iv) कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जो माननीय न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे;

(v) कृपया अनुलग्नक पी-1 से पी-4 की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट दी जाए;

(vi) कृपया उत्तरदाताओं को पूर्व नोटिस की सेवा से छूट दी जाए;

(vii) कृपया याचिकाकर्ता के पक्ष में संपूर्ण लागत सहित रिट याचिका की अनुमति दी जाए।"

(2) इस रिट याचिका में दिए गए कथनों से, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को 11 दिसंबर, 1980 को सेना में भर्ती कराया गया था किया गया था और 18 साल से अधिक की सेवा के बाद, अगस्त, 1996 में, 10 सिख रेजिमेंट ऑफ इन्फेंट्री के साथ उनकी पोस्टिंग के दौरान, उन्हें 6 बख्तरबंद रेजिमेंट के साथ फील्ड फायरिंग अभ्यास के लिए भेजा गया था। इस प्रकार, फायरिंग अभ्यास की अवधि के लिए, याचिकाकर्ता को 6 बख्तरबंद रेजिमेंट के कमान अफसर के अधीन रखा गया था। उस अभ्यास के दौरान, याचिकाकर्ता और चार अन्य सेना कर्मियों को 6 बख्तरबंद रेजिमेंट के साथ जाने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता के साथ चले गए अन्य चार सैन्यकर्मी नायब सूबेदार मंजीत सिंह, हवलदार थे। हरदयाल सिंह, सिपाही राम प्रताप और सिपाही बलविंदर सिंह। अभ्यास स्थल के लिए आगे बढ़ते समय, वे बारी ब्राह्मणा नामक रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे, जहां

एनके शिन्दर सिंह बनाम भारतीय संघ एवं अन्य

नंबर 3380027के

उन्होंने 13 अगस्त, 1996 को रात्रि विश्राम के लिए डेरा डाला था। 6 बख्तरबंद रेजिमेंट की अन्य इकाइयों के तंबू भी पास-पास ही लगाए गए थे। याचिकाकर्ता के सभी पांच साथी एक ही तंबू में एक साथ रुके थे और उस रात उन्होंने भारी मात्रा में शराब का भी सेवन किया। यह भी आरोप है कि उन्होंने शराब पीने को लेकर झगड़ा किया और 14 अगस्त, 1996 की सुबह उनके सोने के बाद याचिकाकर्ता के तंबू में रहने वाले 5 में से दो लोगों, नायब सूबेदार मंजीत सिंह और हवलदार ने मारपीट की। हरदयाल सिंह कई चोटों के साथ मृत पाए गए। सुबह इस घटना के बारे में पता चलने पर, सेना में उनके आधिकारिक वरिष्ठों को तुरंत सूचित किया गया, जो घटनास्थल पर पहुंचे। इस घटना की जानकारी वहां की सिविल पुलिस को भी दी गई, सिविल पुलिस और सैन्य पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद, बाकी तीन सेना के जवान, जिन्होंने उस तंबू पर कब्जा कर लिया था, अर्थात् सिपाही राम प्रताप, सिपाही बलविंदर सिंह और नायक शिंदर सिंह (यहाँ याचिकाकर्ता) को हिरासत में ले लिया गया, और इस मामले की प्री-ट्रायल पूछताछ के दौरान, याचिकाकर्ता को एक इकबालिया बयान का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, इस मामले में सरकारी गवाह बने सिपाही राम प्रताप के बयान में भी याचिकाकर्ता के खिलाफ कई आपत्तिजनक सूचनाएं पाई गईं। इस मामले की प्री-ट्रायल जांच पूरी होने के बाद, आरोपी याचिकाकर्ता नायक शिंदर सिंह पर उसके मूल सेना संगठन, 10 सिख रेजिमेंट के कमान अफसरद्वारा सेना अधिनियम की धारा 69 और रणबीर दंड संहिता की 302 के तहत आरोपों को पढ़ा गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। सारांश जनरल कोर्ट मार्शल के माध्यम से उपरोक्त आरोप। उस मुकदमे के समापन पर, याचिकाकर्ता को दो साथी सेना कर्मियों की हत्या के आरोप में दोषी पाया गया। नतीजतन, उन्हें दोनों मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, इसके अलावा सेवा से बर्खास्तगी के आदेश के साथ नाइक से सिपाही का दर्जा कम कर दिया गया। इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता शिंदर सिंह ने उपरोक्त राहत

पाने के लिए तत्काल रिट याचिका दायर की है। इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका में मांगी गई राहतों में से एक के लिए याचिकाकर्ता की सजा को निलंबित करके उसे जमानत पर रिहा कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि जमानत के आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है, जो इस रिट याचिका के निपटान की प्रतीक्षा में लंबित है।

(3) हमने पार्टियों के विद्वान वकील को सुना है और रिट रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

(4) तर्कों के दौरान, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह उस तरह का मामला नहीं है, जिसमें सारांश जनरल कोर्ट के माध्यम से आरोपी याचिकाकर्ता के मुकदमे को चलाने के लिए सेना अधिनियम की धारा 112 के प्रावधानों को लागू करने की आवश्यकता होगी। मार्शल। पुनरुत्पादन पर सेना अधिनियम की धारा 112 के प्रावधान इस प्रकार पढ़ें:-

**"112. एक सारांश जनरल कोर्ट-मार्शल बुलाने की शक्ति-**

निम्नलिखित अधिकारियों के पास एक सारांश जनरल कोर्ट-मार्शल बुलाने की शक्ति होगी, अर्थात्: -

(ए) केंद्र सरकार या [सेना प्रमुख] के आदेश द्वारा इस संबंध में सशक्त एक अधिकारी;

(बी) सक्रिय सेवा पर, क्षेत्र में बलों की कमान संभालने वाला अधिकारी, या इस संबंध में उसके द्वारा सशक्त कोई अधिकारी;

(सी) सक्रिय सेवा में नियमित सेना के किसी अलग हिस्से की कमान संभालने वाला एक अधिकारी, जब, उसकी राय में, अनुशासन और सेवा की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में

एनके शिन्दर सिंह बनाम भारतीय संघ एवं अन्य

नंबर 3380027के

रखते हुए, यह व्यावहारिक नहीं है कि किसी अपराध की सुनवाई एक सामान्य अदालत द्वारा की जानी चाहिए -मार्शल"

अपने तर्क को और स्पष्ट करने के लिए, विद्वान वकील हमें सेना अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों की ओर भी ले गए, जिसमें सक्रिय सेवा की परिभाषा इस प्रकार है:-

"3. परिभाषाएँ: इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) "सक्रिय सेवाएं", जैसा कि इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति पर लागू होता है, का अर्थ वह समय है जिसके दौरान ऐसा व्यक्ति-

(ए) किसी ऐसे बल से जुड़ा हुआ है या उसका हिस्सा है, जो किसी दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन में लगा हुआ है, या

(बी) किसी ऐसे देश या स्थान पर सैन्य अभियानों में लगा हुआ है या मार्च करने की तैयारी में है, जिस पर पूरी तरह या आंशिक रूप से दुश्मन का कब्जा है, या

(सी) किसी ऐसे बल से जुड़ा हुआ है या उसका हिस्सा है जो किसी विदेशी देश के सैन्य कब्जे में है।"

विद्वान वकील के अनुसार, याचिकाकर्ता दुश्मन के खिलाफ सेना के ऑपरेशन में शामिल नहीं था, ऐसे ऑपरेशन के लिए भी सेना अधिनियम के तहत कुछ आवश्यकताएं हैं जो धारा 3 (x) के प्रावधानों में निहित हैं:

"(x) "शत्रु" में सभी सशस्त्र विद्रोही, सशस्त्र विद्रोही, सशस्त्र दंगाई, समुद्री डाकू और हथियार रखने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसके खिलाफ कार्रवाई करना सैन्य कानून के अधीन किसी भी व्यक्ति का कर्तव्य है;"

विद्वान वकील का यह भी तर्क है कि चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों को कमांडिंग ऑफिसर, 6 आर्मर्ड रेजिमेंट द्वारा नहीं सुना गया था, इसलिए

सेना नियमों के नियम 22 में प्रावधानित है कि याचिकाकर्ता के अधिकार और हितों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डाला गया है। सेना नियमों के नियम 22 को इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"22. आरोप की सुनवाई - (1) अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रत्येक आरोप को आरोपी की उपस्थिति में कमान अफसरद्वारा सुना जाएगा। आरोपी को उसके खिलाफ किसी भी गवाह से जिरह करने की पूरी स्वतंत्रता होगी और ऐसे गवाह को बुलाना और ऐसा बयान देना जो उसके बचाव के लिए आवश्यक हो:

बशर्ते कि जहां आरोपी के खिलाफ आरोप जांच न्यायालय द्वारा जांच के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है, जिसमें उस आरोपी के संबंध में नियम 180 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है, कमान अफसरउप-नियम (1) में प्रक्रिया से छूट दे सकता है। ) .

(2) कमान अफसरउसके सामने लाए गए आरोप को खारिज कर देगा यदि, उसकी राय में, साक्ष्य यह नहीं दिखाता है कि अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है, और ऐसा कर सकता है यदि, वह संतुष्ट है कि आरोप पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए साथ :

बशर्ते कि कमान अफसरउस आरोप को खारिज नहीं करेगा, जिसे धारा 120 की उप-धारा (2) के तहत उसमें निर्दिष्ट वरिष्ठ प्राधिकारी के संदर्भ के बिना विचार करने से वंचित किया गया है।

(3) उप-नियम (1) के अनुपालन के बाद, यदि कमान अफसरकी राय है कि आरोप पर आगे बढ़ना चाहिए, तो वह उचित समय के भीतर-

(ए) परिशिष्ट-III में दिए गए तरीके और प्रपत्र के अनुसार धारा 80 के तहत मामले का निपटान करें; या

(बी) मामले को उचित वरिष्ठ सैन्य प्राधिकारी को संदर्भित करें; या

(सी) साक्ष्य को लिखित रूप में लिखने के उद्देश्य से मामले को स्थगित करना; या



(डी) यदि अभियुक्त वारंट अधिकारी के पद से नीचे है, तो सारांश कोर्ट-मार्शल द्वारा उसके मुकदमे का आदेश दें:

बशर्ते कि कमान अफसरकथित अपराधी के मुकदमे के लिए जिला कोर्ट-मार्शल या सक्रिय सेवा पर समरी जनरल कोर्ट-मार्शल बुलाने के लिए सशक्त अधिकारी के संदर्भ के बिना सारांश कोर्ट-मार्शल द्वारा मुकदमे का आदेश नहीं देगा, जब तक कि-

(ए) अपराध वह है जिसे वह उस अधिकारी के संदर्भ के बिना सारांश कोर्ट मार्शल द्वारा विचार कर सकता है; या

(बी) उनका मानना है कि तत्काल कार्रवाई का गंभीर कारण है और अनुशासन को नुकसान पहुंचाए बिना ऐसा संदर्भ नहीं दिया जा सकता है।

(4) जहां उप-नियम (3) के अनुसार लिया गया साक्ष्य उस अपराध के अलावा किसी अन्य अपराध का खुलासा करता है जो जांच का विषय था, कमान अफसरसाक्ष्य के आधार पर उपयुक्त आरोप तय कर सकता है साथ ही मूल आरोप की जांच की जाएगी।"

(5) विद्वान वकील ने सेना नियमों के नियम 180 का भी हवाला दिया, जो याचिकाकर्ता के कारण होने वाले पूर्वाग्रह के एक और उदाहरण को इंगित करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया प्रदान करता है, जब किसी व्यक्ति का चरित्र सेना अधिनियम के अधीन होता है। सेना नियमों का नियम 180 इस प्रकार है:

**"180. प्रक्रिया जब अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति का चरित्र शामिल हो।** - युद्ध कैदी के मामले को छोड़कर जो अभी भी अनुपस्थित है जब भी कोई जांच अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के चरित्र या सैन्य प्रतिष्ठा को प्रभावित करती है, तो पूर्ण अवसर होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को पूछताछ के दौरान उपस्थित रहने और कोई भी बयान देने, और कोई भी साक्ष्य देने या देने की अनुमति दी जाती है, और किसी भी विजेता से जिरह करने की अनुमति दी जाती है, जिसके साक्ष्य

उसकी राय में, उसके चरित्र या सैन्य प्रतिष्ठा को प्रभावित करते हैं और अपने चरित्र या सैन्य प्रतिष्ठा के बचाव में कोई गवाह पेश करना। न्यायालय का पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं कि ऐसा कोई भी प्रभावित व्यक्ति जो पहले से अधिसूचित नहीं है, उसे इस नियम के तहत नोटिस मिले और वह अपने अधिकारों को पूरी तरह से समझे।"

विद्वान वकील का तर्क है कि सेना अधिनियम की धारा 164 (2) के तहत अपील की प्रकृति में याचिका की पुष्टि के बाद भारत सरकार को प्रस्तुत आवेदन पर भी गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया गया था, और इसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया था। - आदेश अनुलग्नक पी-4 के अनुसार। सेना अधिनियम की धारा 164 की उप-धारा (2) इस प्रकार है:

**"164. कोर्ट-मार्शल के आदेश, निष्कर्ष या सजा के विरुद्ध उपाय:**

(1) xx xx xx xx

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई भी व्यक्ति जो खुद को किसी कोर्ट-मार्शल के निष्कर्ष या सजा से व्यथित मानता है, जिसकी पुष्टि हो चुकी है, वह केंद्र सरकार, (सेना प्रमुख) या किसी वरिष्ठ अधिकारी को याचिका प्रस्तुत कर सकता है। उस व्यक्ति को आदेश दिया जाएगा जिसने ऐसे निष्कर्ष या सजा की पुष्टि की है, और केंद्र सरकार, (सेना प्रमुख), या अन्य अधिकारी, जैसा भी मामला हो, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।"

विद्वान वकील पूर्वाग्रह का एक और उदाहरण बताते हुए कहते हैं कि उनके बचाव के लिए सेना अधिकारियों द्वारा नियुक्त उनके वकील द्वारा इस मामले को तैयार करने के लिए स्थगन की प्रार्थना को भी समरी जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। उपरोक्त दलीलों के अलावा, विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि अपराध के हथियार पिक कुल्हाड़ी के सटीक विवरण के संबंध में गवाहों के बयानों में एक महत्वपूर्ण

एनके शिन्दर सिंह बनाम भारतीय संघ एवं अन्य

नंबर 3380027के

विरोधाभास है, क्योंकि अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों ने कहा है कि उक्त कुल्हाड़ी बिना हैंडल के था, जबकि समरी जनरल कोर्ट मार्शल के समक्ष पेश की गई दोनों कुल्हाड़ियों में हैंडल लगे हुए पाए गए। विद्वान वकील के अनुसार, एकमात्र चश्मदीद गवाह सिपाही राम प्रताप भी ऐसा कर सकता था इस अपराध को अंजाम देने में कथित तौर पर इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ियों की पहचान नहीं की गई है। विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, इन दोनों कुल्हाड़ियों पर कोई खून का दाग नहीं देखा गया था। उन्होंने अपनी सजा दर्ज करने के लिए आरोपी-याचिकाकर्ता के इकबालिया बयान पर भरोसा करने की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया। विद्वान वकील के अनुसार, याचिकाकर्ता का उक्त इकबालिया बयान इस मामले की पूर्व परीक्षण जांच के दौरान कोरे कागजों पर जबरन उसके हस्ताक्षर लेने के बाद बनाया गया है। विद्वान वकील ने यह तर्क देने के लिए सेना नियमों के नियम 182 के प्रावधानों का हवाला दिया कि प्री-ट्राईल के दौरान एकत्र की गई सामग्री! जांच साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी. विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि एकमात्र चश्मदीद गवाह सिपाही राम प्रताप सिंह को पहले प्रताड़ित किया गया और फिर बयान देने के लिए समरी जनरल कोर्ट मार्शल के सामने पेश किया गया, और पीडब्ल्यू -13 नाइक मोहम्मद सफीक और पीडब्ल्यूआई 6 सिपाही गुरनेक सिंह, सिपाही की गवाही के अनुसार बलजिंदर सिंह जो उस पूरी रात सेना जोंगा के अंदर रहे, उन्हें रात के समय 00.30 बजे के बीच 2-3 बार सेना के तंबू में प्रवेश करते हुए भी देखा गया था। 02.15 बजे तक. इसलिए, यदि ऐसा है तो याचिकाकर्ता द्वारा किए गए हमलों पर वह ध्यान दे सकता था, अन्यथा बलजिंदर सिंह स्वयं वह अपराध करता। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के कपड़ों पर कोई खून का धब्बा नहीं देखा गया जिससे यह पता चले कि उसने चोटें पहुंचाई थीं जैसा कि दोनों मृत सैन्यकर्मियों के शरीर पर पाया गया था। विद्वान वकील ने यह भी बताया कि यद्यपि सिपाही राम प्रताप सिंह (पीडब्ल्यूएल 10) ने कहा है कि उन्होंने याचिकाकर्ता को मृतक हरदयाल सिंह के शरीर पर चोटें पहुंचाते

हुए देखा था, लेकिन यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर सबूत का कोई पुष्टिकरण टुकड़ा नहीं है। आरोपी ने अकेले ही हरदियाल सिंह को ये चोटें पहुंचाईं। इसके अलावा, समरी जनरल कोर्ट मार्शल के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि हवलदार की हत्या के संबंध में आरोपी-याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया है। हरदयाल सिंह को केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अनुमान के आधार पर दर्ज किया गया है और उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुत लिखित बयान से यह स्पष्ट है कि आरोपी का इरादा केवल चोट पहुंचाने का था न कि मौत का, जैसा कि आरोप लगाया गया है, इसलिए, याचिकाकर्ता का कृत्य गैर इरादतन हत्या का अपराध होगा जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 भाग-II के तहत दंडनीय है।

(6) दूसरी ओर, सेना प्राधिकारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत संघ के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एसआरओ 17-ई, दिनांक 5 सितंबर, 1977 के तहत, जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र भी शामिल किया गया था। उस क्षेत्र में सेना की सेवा को सक्रिय सेवा मानने के उद्देश्य से। इस प्रकार, एक तर्क जो समरी जनरल कोर्ट मार्शल कार्यवाही के आयोजन पर सवाल उठाता है, उसमें कोई दम नहीं होगा। विद्वान वकील ने गोपनीय पत्र संख्या 2004/10/ सिख/अल, दिनांक 13 अगस्त, 1998 का हवाला देते हुए दोहराया कि नियम 22 के प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया गया है। इसके अलावा, उनका यह भी तर्क है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की अधिकांश दलीलें प्री-ट्रायल जांच सामग्रियों से संबंधित हैं जो सारांश जनरल कोर्ट मार्शल कार्यवाही के दौरान पेश किए गए साक्ष्य का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इस तर्क के संबंध में कि याचिकाकर्ता के वैधानिक अधिकार के तहत केंद्र सरकार को सौंपे गए आवेदन पर, पुष्टि के बाद के चरण में, गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया गया, भारत संघ के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि ऐसे

आवेदनों पर आदेश पारित करते समय कारण बताने की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है। और केवल इसी कारण से, यह नहीं माना जा सकता कि योग्यता के आधार पर दिमाग का प्रयोग नहीं किया गया। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा की गई दलील का जवाब देते हुए कि एकमात्र चश्मदीद गवाह को प्रताड़ित किया गया और फिर याचिकाकर्ता के खिलाफ गवाही लेने के लिए एक सरकारी गवाह बनाया गया, भारत संघ के विद्वान वकील ने कहा कि यह आरोप प्री-ट्रैल जांच से संबंधित है, न कि इससे संबंधित सारांश जनरल कोर्ट मार्शल कार्यवाही। अपने मामले की तैयारी के लिए विद्वान बचाव पक्ष के वकील को अवसर देने से इनकार करने के संबंध में, यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि शुरुआत में श्री जितेंद्र जसवाल और उसके बाद श्री सुखदेव सिंह चिब याचिकाकर्ता के लिए बचाव वकील के रूप में पेश हुए। विद्वान बचाव पक्ष के वकील को अपना मामला तैयार करने के लिए स्थगन दिया गया था, लेकिन यह कहना संभव नहीं था कि कोर्ट मार्शल की कार्यवाही केवल बचाव पक्ष के वकील की सुविधा के अनुसार आगे बढ़नी थी। इसके अलावा, यह तर्क कि याचिकाकर्ता के चरित्र और सैन्य प्रतिष्ठा से संबंधित सेना नियमों के नियम 180 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया, का उत्तर यह प्रस्तुत करके दिया गया है कि यह तर्क केवल पूर्व-परीक्षण जांच के चरण से संबंधित है और अवसर होने के बावजूद ऐसी आपत्तियाँ उठाने के लिए समरी जनरल कोर्ट मार्शल कार्यवाही के दौरान, उन्हें कभी नहीं उठाया गया था, बल्कि याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अब, याचिकाकर्ता के लिए इस रिट याचिका में ऐसी आपत्तियां उठाना खुला नहीं होगा।

(7) हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और रिट रिकॉर्ड का अवलोकन किया है। जनरल कोर्ट मार्शल के आदेश के विरुद्ध रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, हमें अपीलीय न्यायालय की तरह तथ्यों और कथनों की जांच नहीं करनी

चाहिए। **भारत संघ और अन्य बनाम मेजर ए. हुसैन**<sup>1</sup> के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में, पैरा 21 और 22 में स्थिति को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है:

"21. उच्च न्यायालय के लिए सूक्ष्मता से विचार करना आवश्यक नहीं था जनरल कोर्ट मार्शल के रिकॉर्ड की जांच करें जैसे कि वह अपील में बैठा हो। हम पाते हैं कि योग्यता के आधार पर, उच्च न्यायालय ने यह नहीं कहा है कि प्रतिवादी के खिलाफ आरोप लगाए गए अपराध के लिए उसे दोषी ठहराने का कोई मामला नहीं था।

22. हालांकि कोर्ट मार्शल की कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन है, कोर्ट मार्शल संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन नहीं है। यदि कोर्ट मार्शल ठीक से आयोजित किया गया है और इसकी संरचना को कोई चुनौती नहीं है और कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार है, तो उच्च न्यायालय या उस मामले के लिए किसी भी न्यायालय को अपने हाथ रोक देने चाहिए। कोर्ट मार्शल की कार्यवाही की तुलना दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आपराधिक न्यायालय की कार्यवाही से नहीं की जानी चाहिए, जहां स्थगन एक नियमित बात बन गई है, हालांकि यह भी कानून के प्रावधानों के खिलाफ है। यह ठीक ही कहा गया है कि कोर्ट मार्शल काफी हद तक समग्र तंत्र का एक विशेष हिस्सा है, जिसके द्वारा सैन्य अनुशासन को संरक्षित रखा जाता है। यह सशस्त्र बल की विशेष आवश्यकता के लिए है कि सेना अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति पर ऐसे कार्य के लिए कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया जाता है जो अधिनियम के तहत अपराध है। कोर्ट मार्शल न्यायिक कार्य का निर्वहन करता है और काफी हद तक एक ऐसा न्यायालय है जहां साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। एक कोर्ट मार्शल की भी किसी भी कोर्ट के अधिकारों की रक्षा करने की

---

<sup>1</sup> AIR1998 S.C. 577

समान जिम्मेदारी होती है अभियुक्तों पर इसके समक्ष आरोप लगाया गया और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किया गया। यदि कोई सेना अधिनियम में कोर्ट मार्शल से संबंधित कानून के प्रावधानों को देखता है, तो यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि निर्धारित प्रक्रिया शायद समान रूप से निष्पक्ष है यदि अभियुक्त को आपराधिक मुकदमे से अधिक प्रदान नहीं किया जाता है। जब दोषसिद्धि को कायम रखने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, तो यह जांचना अनावश्यक है कि परीक्षण-पूर्व जांच पर्याप्त थी या नहीं। उचित और पर्याप्त जांच की आवश्यकता क्षेत्राधिकार नहीं है और इसका कोई भी उल्लंघन उस कोर्ट मार्शल को अमान्य नहीं करता है जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि आरोपी पूर्वाग्रह से ग्रस्त है या अनिवार्य प्रावधान का उल्लंघन किया गया है। ऊपर उद्धृत नियम 149 का संदर्भ उपयोगी हो सकता है। उच्च न्यायालय को अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा की वैधता को चुनौती की अनुमति नहीं देनी चाहिए जब सबूत पर्याप्त हों, कोर्ट मार्शल के पास विषय वस्तु पर अधिकार क्षेत्र है और उसने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और सजा देने की उसकी शक्ति में है।

इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित पूर्वोक्त परिसर से, ऐसा प्रतीत होता है कि यदि जनरल कोर्ट मार्शल के समक्ष साक्ष्य पर्याप्त है, और अभियुक्त ऐसी कार्यवाही के दौरान उसके साथ होने वाले किसी भी पूर्वाग्रह को स्थापित करने में सक्षम नहीं है, तो यह न्यायालय इसकी जांच के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि स्थगन दिए जाने, न दिए जाने जैसे मुद्दों का परीक्षण केवल उसी आधार पर किया जाना चाहिए क्योंकि रक्षा सेवाओं में अनुशासन के कुछ मानक बनाए रखने की आवश्यकता होती है।

(8) उपरोक्त मापदंडों के भीतर, हमने इस रिट याचिका के कथनों की जांच की है। जो तथ्य प्रकृति में विवादित हैं, उन्हें रिट क्षेत्राधिकार के तहत हमारी शक्तियों के प्रयोग में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, फिर भी हमारी न्यायिक अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए कि याचिकाकर्ता को निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था, हमने सारांश जनरल



कोर्ट के समक्ष उपलब्ध आपत्तिजनक सामग्रियों का अवलोकन किया है। मार्शल, और अब सेना के अधिकारी इस न्यायालय में केंद्र सरकार के वकील की सहायता कर रहे हैं, जिसे याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलीलों में उजागर किया गया है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सेना के पांच जवानों को उनके रात्रि प्रवास के दौरान सेना के एक तंबू में ठहराया गया था और उनमें से केवल दो को रात में मौत के घाट उतार दिया गया था, जब वे सभी नशे में थे। यह भी साक्ष्य में आया है कि याचिकाकर्ता ने शराब का सेवन किया था हवलदार से झगड़ा हरदयाल सिंह और नायब सूबेदार मंजीत सिंह, और उन्होंने मृत व्यक्तियों, विशेष रूप से हवलदार को धमकी दी थी। हरदयाल सिंह, सुबह उनसे मिलना। उस धमकी पर कार्रवाई की गई और सेना के तंबू में रहने वाले पांच लोगों में से केवल 2, जिनके साथ आरोपी ने झगड़ा किया था, 14 अगस्त, 1996 की सुबह मृत पाए गए। हमने उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी जांच की है। मृत व्यक्तियों के शव. दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्टों के अंश, जैसा कि ऑटोप्सी डॉक्टर द्वारा बताया गया है, निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"नायब सूबेदार मंजीत सिंह के शरीर की जांच करने पर, मुझे निम्नलिखित चोटें मिलीं:-

- (i) एक विभाजित लैकरेशन 7 सीएमएस x 3 सीएमएस क्षैतिज रूप से दाएं सुप्रा कक्षीय क्षेत्र पर रखा गया है।
- (ii) नाक के पुल के ठीक ऊपर माथे पर 7 सीएमएस x 3 सीएमएस का एक विभाजित घाव तिरछा रखा गया है।
- (iii) बायीं ओर के माथे पर तिरछा रखा गया 6 सीएमएस x 2 सीएमएस का स्लिट लैकरेशन।
- (iv) चोट संख्या (iii) से 1 इंच नीचे बाएं सुप्रा ऑर्बिटल क्षेत्र पर क्षैतिज रूप से रखा गया 6 सीएमएस x 1 सेमी का एक घाव वाला घाव।



एनके शिन्दर सिंह बनाम भारतीय संघ एवं अन्य

नंबर 3380027के

- (v) चोट संख्या (iii) के 1 इंच पार्श्व में बायीं ओर के पार्श्विका क्षेत्र पर 6 सीएमएस x 2 सीएमएस का फटा हुआ घाव।

सिर की आंतरिक जांच करने पर, बाहरी चोटों के तहत ललाट और पार्श्विका की हड्डियों में फ्रैक्चर थे। मस्तिष्क पदार्थ और मेनिन्जेस क्षतिग्रस्त हो गए थे। पेट में तीव्र अल्कोहलिक गंध थी और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति की पुष्टि एफएसएल, जम्मू द्वारा किए गए रासायनिक विश्लेषण से हुई थी और मुझे उनकी रिपोर्ट संख्या 566/एफएसएल/96, दिनांक 30 सितंबर, 1996 द्वारा रिपोर्ट की गई थी।

मेरी राय में, नायब सूबेदार मंजीत सिंह की मौत का कारण किसी भारी कुंद चीज से सिर पर लगी चोट के कारण मस्तिष्क संबंधी क्षति थी।

"हवलदार हरदयाल सिंह के शरीर की जांच करने पर, मुझे निम्नलिखित चोटें मिलीं:-

(i) बाएं पैरिटल क्षेत्र पर 9 सीएमएस x 6 सीएमएस का विभाजित घाव, मेनिन्जिस और मस्तिष्क पदार्थ के अंतर्निहित घाव के साथ पैरिटल हड्डी के अंतर्निहित कम्प्यूटेड फ्रैक्चर के साथ।

(ii) बाएं टेम्पोरल क्षेत्र पर 7 सीएमएस x 6 सीएमएस का एक क्षत-विक्षत घाव, जिसमें टेम्पोरल हड्डी में अंतर्निहित फ्रैक्चर के साथ मेनिन्जिस और मस्तिष्क पदार्थ में अंतर्निहित क्षति शामिल है।

पेट में तेज अल्कोहल की गंध थी जिसकी पुष्टि एफएसएल, जम्मू की रिपोर्ट संख्या 565/एफएसः/96, दिनांक 30 सितंबर, 1996 से हुई थी।

मेरी राय में, हवलदार हरदियाल सिंह के मामले में मौत का कारण किसी भारी कुंद वस्तु से सिर पर लगी चोट के परिणामस्वरूप क्रेनियो सेरेब्रल क्षति थी।"

इस प्रकार, चोटें, जैसा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा देखा गया है, सुझाव देती हैं कि पिक कुल्हाड़ी, एक कुंद उपकरण, जिसका उपयोग इस अपराध में किया गया था,

इन चोटों का कारण बन सकता है। डॉ. बी.आर. शर्मा (पीडब्लू4) द्वारा दिए गए चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार, यह निर्णायक रूप से स्थापित किया गया था कि नायब सूबेदार मंजीत सिंह और हवलदार हरदियाल सिंह की मृत्यु लगभग 14 अगस्त, 1996 को प्रातः 2.00 बजे। अभियोजन पक्ष ने इस घटना के दो प्रमुख गवाह, सिपाही बलविंदर सिंह (पीडब्लू 9) और सिपाही राम प्रताप सिंह (पीडब्लूएल0) को पेश किया। आरोपी शिन्दर सिंह इन गवाहों से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं कर पाया जिससे वे उसे झूठा फंसाने की खुन्नस पाल सकें। इसके अलावा, आरोपी शिंदर सिंह ने इन गवाहों के सामने इकबालिया बयान दिया, जिसे समरी जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा विश्वसनीय पाया गया है।

(9) इसके अलावा, इस आरोपी पर इन गवाहों को पहले घटना स्थल पर और फिर 14 राज के क्वार्टर गार्ड में धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। राइफल. सिपाही के चश्मदीद गवाहों के बारे में

राम प्रताप सिंह (पीडब्ल्यू 10), उन्होंने मृत व्यक्तियों की हत्या के दौरान आरोपी-याचिकाकर्ता को देखा था। न्यायालय की जांच में उनका बयान सुसंगत और स्पष्ट पाया गया है; सारांश साक्ष्य, और सारांश जनरल कोर्ट मार्शल कार्यवाही। ऐसा सिपाही राम प्रताप सिंह (पीडब्ल्यू 10) के साक्ष्य से प्रतीत होता है, जिसमें एक ज्वलंत और ग्राफिक विवरण दिया गया है कि यह अपराध कैसे किया जा रहा था और नायब सूबेदार मंजीत सिंह की हत्या करने में लगे याचिकाकर्ता की भी पहचान की गई थी। उस पर। अपनी जिरह में, इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण को दोहराया है और बचाव पक्ष द्वारा सुझाई गई अस्पष्टताओं को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें याचिकाकर्ता और उनके रिश्तेदारों ने धमकी दी थी जो इस गवाह से मिलने आए थे। जांच न्यायालय में याचिकाकर्ता शिंदर सिंह ने कहा कि हवलदार हरदियाल सिंह की वजह से उन्हें नींद नहीं आई, जो उनके दिमाग में बार-बार उभर रहा था। रात्रि दो बजे प्रार्थी अपने बिस्तर से उठा और

सड़क किनारे तंबू के प्रवेश द्वार पर पड़ी गैती उठाने गया। वह कुदाल वही थी जिसका उपयोग उनके तंबू गाड़ने के लिए किया गया था। याचिकाकर्ता ने गैती-कुल्हाड़ी का हैंडल हटा दिया; उसे संकरे सिरे से पकड़ा और फिर तंबू के फ्लैप से बाहर झाँककर देखा कि पास में कोई संतरी तो नहीं खड़ा है। यह पुष्टि करने पर कि तंबू के पास कोई नहीं था, याचिकाकर्ता ने नायब सूबेदार मंजीत सिंह के माथे पर दो बार वार किया। इसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़ा और मृतक हवलदार हरदयाल सिंह की बाईं कनपटी पर तीन वार किए। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने यह पता लगाने के लिए बारीकी से देखा कि क्या गैती की कुल्हाड़ी पर कोई खून का धब्बा था और उसने देखा कि उस पर पड़ने वाली स्ट्रीट लाइट में भी खून के धब्बे थे। उसने अपने हाथ को पानी में डुबाकर गैती को साफ किया और पानी से भरे स्टील के आधे डल्लू में दाग को पोंछ दिया, जो तंबू के केंद्रीय खड़े खंभे के पास पड़ा था। हालाँकि, उन्होंने दाग के लिए कुल्हाड़ी की दोबारा जाँच नहीं की और हैंडल को वापस फिट कर दिया और कुल्हाड़ी से उस स्थान पर रख दिया जहाँ से इसे उठाया गया था। जांच न्यायालयमें, याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि जब उसने नायब सूबेदार मंजीत सिंह के सिर पर चोट देखी, जिसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो वह डर गया क्योंकि उसका उसे मारने का कभी इरादा नहीं था। हालाँकि, यदि सिपाही राम प्रताप सिंह (PW10) के बयान के प्रासंगिक अंशों को याचिकाकर्ता द्वारा जांच न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान के आलोक में पढ़ा जाता है, तो यह पूरी तरह से स्थापित पाया जाता है कि आरोपी-याचिकाकर्ता ने अकेले ही अपराध किया है। मौत का कारण बनने के इरादे से. पुनरुत्पादन पर सिपाही राम प्रताप सिंह (पीडब्लूएलओ) के बयान के प्रासंगिक अंश इस प्रकार पढ़ें:

"xx xx xx xx

हवलदार हरदियाल सिंह, सिपाही बलविंदर सिंह, मैं और आरोपी हमारे टेंट के पीछे फैक्ट्री एरिया में नहाने चले गए, नायब सूबेदार मंजीत सिंह को टेंट में ही छोड़ दिया। वहाँ नहाने से पहले हमने एक बोतल रम पी ली. तंबू के अंदर वापस आकर

एनके शिन्दर सिंह बनाम भारतीय संघ एवं अन्य

नंबर 3380027के

हम सब यानी नायब सूबेदार मंजीत सिंह, हवलदार हरदियाल सिंह, सिपाही बलविंदर सिंह, मैं और आरोपी रम पीने लगे। मैंने 4-5 पैग रम पी ली। मुझे नहीं पता कि दूसरों ने कितनी शराब पी, क्योंकि हम स्टील के गिलास में पी रहे थे।

जब हमने करीब ढाई बोतल रम पी ली तो हवलदार हरदियाल सिंह ने कहा कि यह बहुत हो गया, लेकिन आरोपियों ने हवलदार हरदियाल सिंह से कहा कि हम और पी लेंगे। इसके बाद हवलदार हरदियाल सिंह ने आरोपी से रम की बोतल निकालने को कहा, लेकिन आरोपी ने जिद की कि वह व्हिस्की पिएगा। इसके बाद हवलदार हरदियाल सिंह ने अपने सूटकेस की चाबियां आरोपी को सौंप दीं, जिस पर आरोपी ने व्हिस्की की एक बोतल निकाली और हवलदार हरदियाल सिंह को दे दी। हवलदार हरदियाल सिंह ने व्हिस्की का एक पैग बनाया और नायब सूबेदार मंजीत सिंह को दिया। इसके बाद उसने एक और पैग बनाया और आरोपी को दिया, लेकिन आरोपी ने मना कर दिया और कहा, "मैं आपकी दारू नहीं पिऊंगा"। नायब सूबेदार मंजीत सिंह ने आरोपी से कहा कि उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और उसे व्हिस्की पीनी चाहिए। इस पर आरोपी ने कहा, "सुल्ले, मैं आपकी दारू नहीं पीऊंगा, मैं आपकी दारू की बूंद मारता हूं" और नायब सूबेदार मंजीत सिंह को गालियां देने लगा। हवलदार हरदियाल सिंह ने आरोपियों को बताया कि नायब सूबेदार मंजीत सिंह उनके अपने जेसीओ थे और उन्हें उनके (नायब सूबेदार मंजीत सिंह) साथ दुर्व्यवहार क्यों करना चाहिए। इस पर आरोपियों ने हवलदार हरदियाल सिंह से गाली-गलौज की। हवलदार हरदियाल सिंह को गुस्सा आ गया और उन्होंने आरोपी को जूरा से पकड़कर मुक्के से 10-12 वार कर दिए। आरोपी ने जवाबी

एनके शिन्दर सिंह बनाम भारतीय संघ एवं अन्य

नंबर 3380027के

कार्रवाई नहीं की शारीरिक रूप से लेकिन कहा, "आप मेरे मेजर हो, और मारो, मैं आपको सवेरा देख लूंगा"।

XX XX XX XX

"14 अगस्त, 1996 को लगभग 02.00 बजे-02.15 बजे, मेरी नींद "खर-खर" की आवाज से खुली। मैंने पहचान लिया था कि वह आवाज हवलदार हरदयाल सिंह की है। मैंने अपने चेहरे से अपनी चादर उठाई और उस आरोपी को देखा नायब सूबेदार मंजीत सिंह को 'गैंटी' (कुल्हाड़ी) से मार रहा था। इस समय, फैक्ट्री क्षेत्र से तंबू के अंदर रोशनी आ रही थी और यह तंबू के अंदर एक व्यक्ति को पहचानने के लिए पर्याप्त थी। जब आरोपी नायब सूबेदार मंजीत को मार रहा था सिंह, नायब सूबेदार मंजीत सिंह के शरीर से कोई आवाज नहीं आई।"

XX XX XX XX

"जब सिपाही बलविंदर ने कहा, "मेजर मेजर" और हवलदार हरदयाल सिंह को हिलाया, तो आरोपी उठ गया और बोला, "ये नहीं उठेगा, इसने दारू जादा पी है"। सिपाही बलविंदर सिंह ने नायब सूबेदार मंजीत सिंह को मिलिट्री अस्पताल ले जाने के लिए कहा। पर इस पर आरोपी ने कहा, "नहीं, पहले हम अपने वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद हम नायब सूबेदार मंजीत सिंह को मिलिट्री अस्पताल ले जाएंगे।" सिपाही बलविंदर सिंह ने आरोपी से पूछा कि उसने क्या किया है?

आरोपी ने जवाब दिया

"मुझे जो करना था मैंने कर लिया है। अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा" (जो कुछ मैंने करना था कर दिया, अगर आपने किसी को बताया तो आपको भी नहीं छोड़ूंगा)।

XX XX XX XX

"मैंने आरोपी को नायब सूबेदार मंजीत सिंह पर 2-3 बार 'गैंटी' मारते देखा था, इससे पहले कि मैं फिर से चादर अपने ऊपर ले लेता। उसके बाद मैंने अपने चेहरे से चादर नहीं हटाई।" "जिरह करने पर, गवाह ने कहा:

जब मैंने आरोपी को नायब सूबेदार मंजीत सिंह को मारते देखा था तो वह मुझसे 3-4 फीट की दूरी पर था. उस समय वह नायब सूबेदार मंजीत सिंह के सिर के पीछे खड़ा था। उसका मुंह नायब सूबेदार मंजीत सिंह के सिर की तरफ था और उसकी पीठ रेलवे ट्रैक की तरफ थी ।

जब मैंने आरोपी को देखा तो वह नायब सूबेदार मंजीत सिंह को मारने में लगा हुआ था, मैं यह नहीं कह सकता कि उसने इस बात पर ध्यान दिया था या नहीं कि मैंने उसे देखा था।"

XX XX XX XX

"जिस समय 14 राज रिफ़ के क्वार्टर गार्ड में आरोपियों ने मुझे धमकी दी थी, उस समय सिपाही बलविंदर सिंह ने आरोपियों से पूछा था कि उसने क्यों मारा, जिस पर आरोपियों ने कहा था, "दोनों मुझे गालियां दे रहे थे, मैं अपना आपा खो बैठा था।" . इसलिए, मैंने उन्हें मार डाला और अपना गुस्सा शांत किया।"

अभियुक्त ने उपरोक्त उत्तर स्वेच्छा से, स्वयं दिया था और उपरोक्त उत्तर देने के लिए अभियुक्त को कोई धमकी, जबरदस्ती या वादा नहीं किया गया था।

XX XX XX XX

(10) हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि सिपाही बलविंदर सिंह (पीडब्लू 9) और सिपाही राम प्रताप सिंह (पीडब्ल्यूएल 10) को आरोपियों के खिलाफ बयान देने के लिए प्रताड़ित किया गया था, लेकिन इस रिट याचिका के लिखित बयान के पैरा 7 में , इस आरोप का विशेष रूप से खंडन किया गया है और बल्कि, यह दोहराया

गया है कि याचिकाकर्ता ने स्वयं जांच न्यायलयकी कार्यवाही में अपना अपराध कबूल किया था। हमने इस संभावना की बारीकी से जांच की है जैसा कि बचाव पक्ष ने आरोप लगाया है कि कोई बाहरी व्यक्ति भी तंबू में प्रवेश कर सकता है और अपराध कर सकता है। राम प्रताप सिंह के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी तंबू में करवट लेकर लेटा हुआ था और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि तंबू में रहने वालों में से एक सिपाही बलविंदर सिंह (पीडब्लू 9) था, जो आरसीएल में सोने के लिए तंबू छोड़ गया था। जोंगा रात के बचे समय में नशे की हालत में तंबू के अंदर लौटा, जब सेना के सभी पांच जवान नशे में धुत्त थे। इसके अलावा, कोर्ट के दौरान पूछताछ और फिर समरी जनरल कोर्ट मार्शल की कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता ने किसी भी तरह के पूर्वाग्रह का आरोप नहीं लगाया और न ही उसने न्यायालय की विश्वसनीयता पर कोई आरोप लगाया या समरी जनरल कोर्ट मार्शल की कार्यवाही पर भी सवाल उठाया। उन्होंने यह आरोप नहीं लगाया कि कानून के किसी प्रावधान की अनदेखी की गई और किसी भी तरह से उनके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला गया। बल्कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया. कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे मामलों में इरादे उपस्थित परिस्थितियों से निकाले गए अनुमान से एकत्र किए जाते हैं जैसे: चोटों की प्रकृति; इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति, और जिस तरह से अपराध किया गया था। लिखित बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे मामलों को शीघ्रता से निपटाने और अनुशासन बनाए रखने और रक्षा बलों के मनोबल को उंचा रखने की आवश्यकता के लिए ही सारांश कार्यवाही का सहारा लिया जाता है। विवादित मुकदमा सेना अधिनियम और सेना नियमों के प्रावधानों के तहत स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से आयोजित किया गया है। याचिकाकर्ता के मूल संगठन, 10 सिख रेजिमेंट के कमान अफसरके रूप में, अभी भी आरोपी के कमान अफसरथे, आरोपों की सुनवाई की कार्यवाही केवल उनकी उपस्थिति में ही की गई थी। इस प्रकार सेना नियमावली के नियम 22 का विधिवत अनुपालन किया गया। जहां तक याचिकाकर्ता की सैन्य प्रतिष्ठा का

संबंध है, उसने कभी भी समरी जनरल कोर्ट मार्शल के समक्ष यह मुद्दा नहीं उठाया, और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति को देखते हुए, उसका चरित्र और सैन्य प्रतिष्ठा दांव पर नहीं थी, न ही किसी भी तरह से शामिल थी। दूसरी ओर आरोपी-याचिकाकर्ता पर दो साथी सैन्य कर्मियों की हत्या का अपराध करने का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता के सक्रिय सेवा में नहीं होने के आधार पर समरी जनरल कोर्ट मार्शल आयोजित करने के औचित्य पर सवाल उठाने वाली प्रस्तुति के संबंध में, हमें सूचित किया गया है कि केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एसआरओ 17-ई, दिनांक के अनुसार 5 सितंबर, 1977 को सेना के जवानों की सक्रिय सेवा के उद्देश्य से जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र भी इसमें शामिल कर दिया गया। जहां तक याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की इस दलील का सवाल है कि सैन्य अधिकारियों द्वारा नियुक्त बचाव पक्ष के विद्वान वकील को अपना मामला तैयार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया, लिखित बयान के पैरा 16 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को अपना मामला तैयार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। केस तैयार करने के लिए उसके पास पर्याप्त समय बचा था। बचाव पक्ष के वकील की सहायता सेना के अधिकारियों द्वारा केवल इसलिए प्रदान की गई क्योंकि आरोपी ने अपनी पसंद के वकील को नियुक्त करने के अपने अधिकार को त्याग दिया था, हालाँकि, नियुक्त किए गए बचाव वकील ने अत्यंत परिश्रम के साथ मामले को ठीक से चलाया। कोर्ट मार्शल कार्यवाही के दौरान अभियुक्तों के हितों की रक्षा करना। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता भी सहमत हो गया और, बल्कि, उक्त वकील की नियुक्ति के लिए अपनी सहमति दे दी। इसके अलावा, समरी जनरल कोर्ट मार्शल की कार्यवाही आकस्मिक प्रकृति की होती है और इसमें स्थगन की मांग करके देरी नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, आरोपी ने जांच न्यायलय और समरी जनरल कोर्ट मार्शल कार्यवाही के दौरान किसी भी स्तर पर ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई। जहां तक याचिकाकर्ता द्वारा केंद्र सरकार को



सहमति के बाद प्रस्तुत की गई याचिका का संबंध है, तो कारण बताने की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि उस याचिका पर विचार नहीं किया गया था।

(11) हमने यह साबित करने के लिए भारत संघ की ओर से प्रस्तुत अधिसूचना की भी जांच की है कि याचिकाकर्ता जम्मू और कश्मीर सेक्टर में अपने प्रशिक्षण के दौरान भी सक्रिय सेवा में लगा हुआ था। हमें उस अधिसूचना में किसी भी तरह की कोई खामी नजर नहीं आई, जिससे यह माना जा सके कि समरी जनरल कोर्ट मार्शल की कार्यवाही सेना अधिनियम की धारा 9 और धारा 3 (i) के प्रावधानों के उल्लंघन में आयोजित की गई थी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलील भी खारिज की जाती है।

(12) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (मेजर) में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में **जी.एस. सोढ़ी बनाम भारत संघ**<sup>2</sup> ने माना है कि यदि याचिकाकर्ता ने दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया है और लिखित बयान में यह कहा गया है कि कोर्ट मार्शल कार्यवाही में भाग लेने या संचालन करने वाले अधिकारी की ओर से कोई दुर्भावना नहीं थी, तो ये कार्यवाही इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, सेना नियमों के नियम 22 जैसे नियमों के अनुपालन में छोटी-मोटी अनियमितताओं को भी नजरअंदाज किया जाना चाहिए और इस आधार पर ऐसी कार्यवाही को प्रभावित नहीं किया जाएगा। (**प्रदीप सिंह बनाम भारत संघ और अन्य**)<sup>3</sup> में रिपोर्ट किए गए एक अन्य फैसले में (3) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मेजर ए हसन के मामले (सुप्रा) में किए गए अनुपात और टिप्पणियों को दोहराया है। माननीय न्यायालय ने आगे कहा है कि यदि कोर्ट मार्शल ठीक से आयोजित किया गया है और इसकी संरचना को कोई चुनौती नहीं है, और कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार

---

<sup>2</sup> AIR 1991 S.C. 1617

<sup>3</sup> 2007(2) RCR(Crl.) 889

है, तो उच्च न्यायालय या उस मामले के लिए, किसी भी न्यायालय को अपना हाथ रोकना होगा . आगे यह माना गया कि कोर्ट मार्शल की कार्यवाही की तुलना किसी आपराधिक कार्यवाही से नहीं की जानी चाहिए

दंड प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय। यह भी देखा गया है कि जहां सबूत पर्याप्त हैं वहां उच्च न्यायालय को दोषसिद्धि और सजा की वैधता को किसी भी चुनौती की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट मार्शल की किसी अन्य अदालत की तरह ही जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा, मामले की जांच का हिस्सा गैर-न्यायक्षेत्रीय है।

(13) मौजूदा मामले में भी, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, समरी जनरल कोर्ट मार्शल के समक्ष पर्याप्त सबूत थे और ऐसा कोई आरोप नहीं है कि कानून के किसी प्रावधान की अनदेखी की गई या निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया। इस प्रकार, तत्काल मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हमारे हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देती हैं।

(14) कोर्ट मार्शल कार्यवाही के दौरान इकबालिया बयान से निपटते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने **(कैप्टन अशोक कुमार राणा बनाम भारत संघ और अन्य)** <sup>45</sup>में दिए गए फैसले में माना है कि यदि कोई दोषसिद्धि दर्ज की गई है अभियुक्त के कबूलनामे के आधार पर कोर्ट मार्शल की कार्यवाही की गई और उसे यह साबित करने का पूरा मौका दिया गया कि कबूलनामा स्वेच्छा से नहीं दिया गया था, उच्च न्यायालय से अनुच्छेद 226 के तहत दोषसिद्धि और सजा के आदेश में हस्तक्षेप की उम्मीद नहीं की जाती है।

---

<sup>4</sup> 1982 Cr.L Journal NOC 120 (Delhi)

एनके शिन्दर सिंह बनाम भारतीय संघ एवं अन्य

नंबर 3380027के

(15) अपराध करने के मकसद के संबंध में, आरोपी ने मृत व्यक्तियों के साथ झगड़ा किया था और हवलदार द्वारा चोट पहुंचाने के कारण वह द्वेष रखता था। हरदियाल सिंह, जो घटना की रात में पनपता रहा। इस प्रकार, हम भी न्यायालय से सहमत हैं कि आरोपी के पास विचाराधीन अपराध करने का मकसद था।

(16) उपरोक्त के मद्देनजर, यह रिट याचिका योग्यता से रहित होने के कारण खारिज करने योग्य है, और इस प्रकार खारिज की जाती है।

(17) इस मामले से अलग होने से पहले, हम यह देखना चाहेंगे कि रिट याचिका में जमानत देने के सवाल पर कोई तर्क नहीं था, इसलिए, हम इस प्रश्न को खुला छोड़ते हैं। याचिकाकर्ता शिंदर सिंह, जो इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के 21 अगस्त, 2005 के आदेश के अनुसार जमानत पर हैं, को सजा की शेष अवधि भुगतने के लिए अपने जमानत बांड में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

शैली नैन,

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

पानीपत, हरियाणा